UPSI180024112025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं0-308/2025

बिन्देश्वरी बनाम आशाराम आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**1000/-रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री गुलेमुनव्वर**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**08.09.2025**

यह वाद-पत्र वादिनी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री गुलेमुनव्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-11.10.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू0डि0) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित वादभूमि स्थित ग्राम शिवरुख कलॉ, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर में वादीय रास्ते पर कब्जा करने, निर्माण कार्य करने व वादिनी के शान्तिपूर्ण स्वामित्व व अध्यासन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची-9ग1 से एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-10ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनाँक-11.10.2025 हेतु जारी हो। वादिनी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक-11.10.2025 को पेश हो।

दिनांकः08.09.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू0डि0) महमूदाबाद,
सीतापुर।

........(P.T.O)

UPSI180024112025

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.09.08 17:08:36 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad, Sitapur.

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2</u>

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8ग2वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग2 स्वीकार किया जाता है।

वादिनी जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः-08.09.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)